देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/51 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | बुधवार, 13 दिसम्बर 2023

जेडीए के ज़ोन 12 मे भूमाफियाओं द्वारा करीब 8 बीघा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी!!!

जेडीए के तमाम दावों के बावजूद,

जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम भम्भोरी ,कालवाड रोड,सुख सागर एन्क्लेव के पास, भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी “श्याम सिटी-2

फर्जी सोसाईटी के पट्टों से बेचे जा रहे इस अवैध कॉलोनी के 136 भूखंड!!

JDA ने चलाया पीला पंजा: 3 बीघा कृषि भूमि पर बसाई जा रही थी अवैध कॉलोनी, कॉलोनी की सड़कों को JCB की सहायता से तोड़कर किया धवस्त

भू 3 महीने पहले

जेडीए के दावो की पोल खोल रहे जयपुर के भूमाफिया,जेडीए से बिना स्वीकृति कृषि भूमियों पर बसा रहे आवासीय कॉलोनियाँ|

जेडीए लगातार यह दावे कर रहा है कि उसकी सख्ती के चलते कृषि भूमियों पर बस रही आवासीय कॉलोनियों मे कमी आई है और जयपुर के कोलोनाईजर अब जेडीए से स्वीकृति के बाद ही कॉलोनियों का निर्माण कर रहे है|लेकिन भूमाफियाओं की मनमानी के सामने शायद यह जेडीए के कर्ता-धर्ताओ की खुशफहमी साबित हो रही है|आपको बता दें कि विगत 4 सालों मे जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक श्री रघुवीर सैनी के नेतृत्व मे सैंकड़ों अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाये गए है,लेकिन इसके बावजूद जेडीए के बाहरी इलाकों मे इन अवैध कॉलोनियों की बाढ़ सी आई हुई है|

Jaipur में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ JDA की कार्रवाई, मचा हड़कंप

JDA ने 5 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

Published on: Jan 28, 2021, 1:31 AM IST

गृह निर्माण सहकारी समितियों पर सरकार का डंडा : 1999 के बाद काटे गए भूखंड और पट्टों को कानूनी मान्यता नहीं

डेडलाइन 31 दिसंबर, 2001

इस तारीख तक जिनके रिकॉर्ड जेडीए में जमा हो चुके उनके ही मिलेंगे पट्टे

जयपुर | जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र के कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 के बाद सृजित, विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों या कृषि भूमि पर बनाये गए भूखंडों के नियमन, आवंटन के लिए गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को कोई कानूनी मान्यता नही है। नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि कृषि भूमि पर 17 जून, 1999 तक विकसित हुई आवासीय कॉलोनियों के नियमन के संबंध में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जारी पट्टों को मान्यता दी गई है। गृह निर्माण सहकारी समितियों से 17 जून, 1999 से पूर्व जारी पट्टों की सूची रिकॉर्ड जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 31 दिसम्बर, 2001 तक जमा करा लिया गया था और जेडीए द्वारा ऐसे भूखण्ड धारी सदस्यों की सूची भी पुस्तिकाओं रूप में मुद्रित करा ली गई थी। गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जो भी रिकॉर्ड उस समय तक संधारित किया गया था। उसमें से यदि पट्टे अभी तक जारी नहीं किए गए हैं तो वह ही रिकॉर्ड मान्य होगा जो जेडीए द्वारा मुद्रित बुकलेट में शामिल हैं। उसके बाद यदि किसी समिति द्वारा कोई रिकॉर्ड अब प्रस्तुत किया जाता है, तो वह विधि मान्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गृह निर्माण सहकारी समितियों की केवल उसी सदस्यता सूची और पट्टों को मान्यता दी जावेगी, जो कि जेडीए में 31 दिसम्बर, 2001 तक प्रस्तुत किये जा चुके है तथा जिनका पुस्तिकाकरण हो चुका है। यदि गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा जेडीए में प्रस्तुत सूची के बाद भूखण्डधारियों द्वारा अपने भूखण्ड का बेचान किया गया है या विरासत के आधार पर नाम हस्तान्तरण हुआ है ऐसे मामलों में जेडीए द्वारा नाम हस्तान्तरण की मान्यता दी जायेगी।

बैकडेट के पट्टे होंगे अवैध

यदि कोई आवासीय कॉलोनी 17 जून, 1999 के बाद बिना अनुमति के विकसित हो गई है, तो ऐसी कॉलोनियों में गृह निर्माण सहकारी समितियों के रिकॉर्ड के आधार पर नियमन नहीं किया जाएगा, साथ ही उनके द्वारा जारी किए गये पट्टे जो 17 जून, 1999 के पूर्व के जारी किये दर्शाए गए हैं, उन्हें वास्तविकता में वर्तमान में बैक डेट में जारी किये गए माने जाकर विधि मान्य नहीं माने जाएंगें।

ऐसे भूखंडधारकों को कैसे मिलेंगे वैध पट्टे

1999 के बाद के भूखण्डधारियों ने यदि भूखंडों पर आवास या आंशिक निर्माण, चारदीवारी का निर्माण कर लिया है एवं उस पर भूखण्ड धारी का कब्जा है तो वे राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी के तहत ले-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं। जेडीए द्वारा भूखंडों का सर्वे करवाकर सूचियां तैयार कर नियमन किए जा सकेंगे। भूखंडधारी को निर्माण संबंधी कोई एक सबूत दस्तावेज कब्जे की पुष्टि करने के रूप प्रस्तुत करना होगा। जिसमें बिजली/पानी/टेलिफोन बिल, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइंसेन्स, सम्पति दस्तावेज आदि जमा करा सकते हैं।

31 अवैध कॉलोनियों की खातेदारी निरस्त करने के लिए जेडीए ने लिखा पत्र

जेडीए ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से बसाई जा रही करीब 31 कॉलोनियों (Jaipur JDA Illegal colony Action) की खातेदारी निरस्त करने के लिए उपखण्ड अधिकारी और तहसीलदार को पत्र लिखा है। वहीं जेडीए ने अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई में खर्च की राशि वसूल करने के भी नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। जेडीए ने 10 काश्तकारों को नोटिस दिए है।

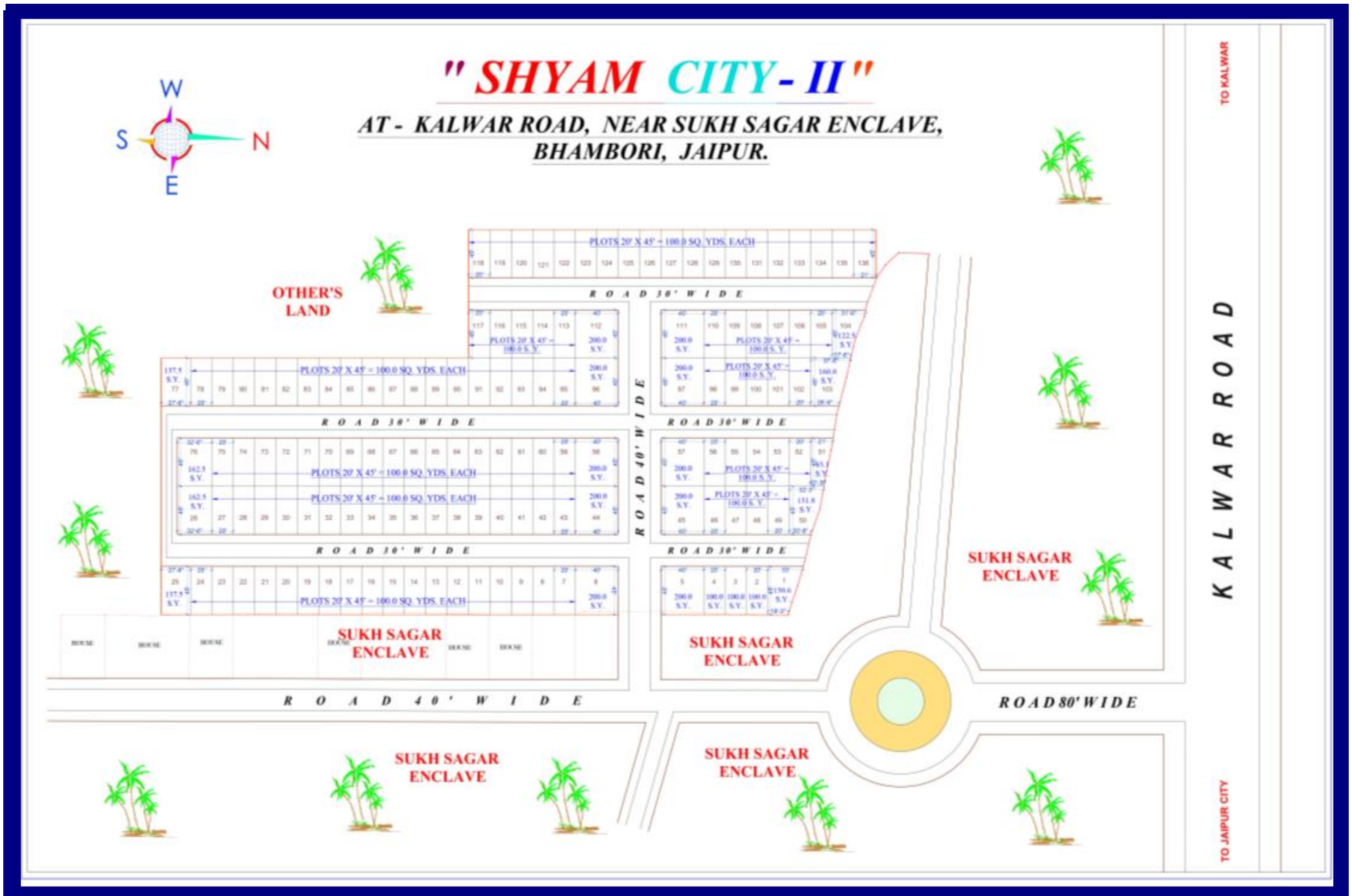

जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम भम्भोरी ,कालवाड रोड,सुख सागर एन्क्लेव के पास, भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी "श्याम सिटी-2"

जयपुर शहर के बाहरी इलाको के ज़ोनो मे कृषि भूमियों को बिना भू-रूपांतरित करवाए ,उन पर कॉलोनियाँ बसाने का धंधा जोरों पर है|इन ज़ोनो मे एक ज़ोन 12 भी है,जहां ताबड़तोड़ अवैध कोलोनियों को बसाने का काम जोरों पर चल रहा है|जेडीए की लगातार कार्यवाहियों के बावजूद इन पर लगाम नही लग पा रही है|आपको बता दें कि कृषि भूमियों पर बसाई जा रही अवैध कॉलोनियों मे एक नाम और शुमार हो गया है जिस स्कीम का नाम श्याम सिटी-2 है|उपलब्ध जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 12 मे स्थित ग्राम भम्भोरी ,कालवाड रोड,सुख सागर एन्क्लेव के पास, भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी " **श्याम सिटी-2**" बसायी जा रही है|

सोसाइटी के फर्जी पट्टो से काटी जा रही है यह अवैध कॉलोनी "श्याम सिटी-2"

सूत्रों के अनुसार इस स्कीम के अंतरगर्त 136 प्लॉट काटे जाएंगे,जिन्हे किसी फर्जी गृह निर्माण सहकारी समिति के पट्टे बांटे जाएंगे|जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार श्याम सिटी-2 के नाम से कोई योजना पंजीकृत नहीं है|जिससे सिद्ध होता है कि श्याम सिटी-2 नाम की यह स्कीम पूर्णतया अवैध है|इस अवैध कॉलोनी मे करीब 50 से अधिक प्लॉटो को उपभोक्ताओं को बेच भी दिये गए है और कई भूखंडो पर निर्माण कार्य भी तेजी से जारी है|

जवाब मांगते सवाल?

1. आखिर कौन है यह भूमाफिया जो कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी बसा रहे है?
2. अब तक कितनी अवैध कॉलोनियाँ काट चुके है यह भूमाफिया?
3. कौन है इस फर्जी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. के कर्ता-धर्ता?अब तक जमीनो की धोखाधड़ी के कितने मामले दर्ज है इन लोगो के खिलाफ?
4. क्या इनके द्वारा बांटे जा रहे पट्टे वैध है?
5. अब तक श्याम सिटी-2 मे कितने प्लॉट बेचे जा चुके है?
6. क्या इन प्लॉटो को खरीदने वालों को इस स्कीम की हकीकत मालूम है?
7. यदि अब जेडीए इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करता है तो इन ग्राहकों के साथ हुई धोखाधड़ी का जिम्मेदार कौन होगा?
8. कौन है जेडीए के इस ज़ोन-12 के प्रवर्तन अधिकारी?क्या उन्हे इस अवैध कॉलोनी के बारे मे जानकारी है?
9. क्या जेडीए के इस ज़ोन 12 के प्रवर्तन अधिकारी इस अवैध कॉलोनी को बसाने के जिम्मेदार नहीं है?
10. इस अवैध कॉलोनी के विरुद्ध आज दिनांक तक कितनी शिकायते जेडीए को प्राप्त हुई?उन शिकायतों पर आज दिनांक तक जेडीए प्रवर्तन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?
11. क्या जेडीए इन भूमाफियाओं के विरुद्ध स्थानीय पुलिस मे मामला दर्ज करवाएगी?
12. क्या जेडीए इस खातेदार की खातेदारी निरस्त करवाने की कार्यवाही करेगी?
13. क्या रजिस्ट्रार,सहकारी समितियां महोदय इस गृह निर्माण सहकारी समिति के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे?

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|